कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक– 2471 / FP/UK/OTHERS/27387/2017 (दे0दून) :देहरादून:दिनांकः 12 मार्च, 2019.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र) 25–सुभाष रोड, देहरादून।

विषयः– **जनपद–देहरादून आई0 एण्ड डी0 नाला ऋषिकेश एवं लक्कड़घाट पर 26 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 का निर्माण कार्य के अन्तर्गत वीरभद्र कक्ष संख्या–1 के बापूग्राम में एस0पी0एस0 के निर्माण हेतु 0.05 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/UK/OTHERS/27387/2017)**

संदर्भः– **भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या–8बी / यू.सी.पी. / 09 / 41 / 2018 / एफ.सी. / 1832 दिनांक 30–11–2018**

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयॉकित वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण पर कतिपय कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून के पत्रांक 2663 / 12–1 दिनांक 27–02–2018 **(संलग्नक–1)** द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई अनुपालन आख्या निम्नवत् प्रेषित की जा रही है:–

2– **शर्त संख्या–1** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं दस वर्षों तक रख–रखाव हेतु धनराशि ₹ 1,10,000.00 (₹ एक लाख दस हजार) मात्र की धनराशि तदर्थ कैम्पा कोष में ऑन–लाईन चालान के माध्यम से जमा कर दी गई है। **(संलग्नक–2)**

3. **शर्त संख्या–2** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि ₹ 32,850.00 (₹ बत्तीस हजार) मात्र की धनराशि तदर्थ कैम्पा कोष में ऑन–लाईन चालान के माध्यम से जमा कर दी गई है। **(संलग्नक–3)**

4. **शर्त संख्या–3** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात जहाँ–जहाँ सम्भव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त पड़े स्थानों पर पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में वृक्षारोपण किया जायेगा। **(संलग्नक–4)**

5. **शर्त संख्या–4** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत की गयी है कि शुद्ध वर्तमान मूल्य में बढ़ोत्तरी होने पर बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा करा दी जायेगी। **(संलग्नक–5)**

6. **शर्त संख्या–5** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) एवं सभी निधियां कुल ₹ 1,42,850.00 (₹ एक लाख बयालीस हजार आठ सौ पचास) मात्र प्रतिपूर्ति निधि प्रबन्धन तथा योजना प्रबन्धन (CAMPA) के कॉरपोरेशन बैंक में online portal पर चालान के माध्यम से जमा कर दी गई है। **(संलग्नक–6)**

7. **बिन्दु संख्या–6** के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि एफ0आर0ए0, 2006 के अभिलेख online Part-1 के पैरा K, जिसकी मूल प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–7)** एवं प्रभागीय वनाधिकारी की स्थल निरीक्षण आख्या पैरा–16 पर अपलोड कर दी गई है।

8. **शर्त संख्या–7** के अनुपालन में online फार्म 'ए' पार्ट की सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–8)**

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई अनुपालन आख्या की प्रति मय संलग्नक प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि विषयाँकित प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने पर विचार करना चाहें।

संलग्नः–यथोपरि

भवदीय,

(ए0के0 गुप्ता)
वन संरक्षक

क्रमशः

संख्या :–   / FP/UK/OTHERS/27387/2017 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, जनपद–देहरादून।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, चकराता।
3. परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, निकट–डी0जी0बी0आर0 कैम्प, आशुतोष नगर, ऋषिकेश।

(ए0के0 गुप्ता)
वन संरक्षक